

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी जोधपुर थाना ए.सी.बी. सी.पी.एस., जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.सं. 99/2022 दिनांक 25/3/2022
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम—2018 धारा 7.7ए..... 120वी भा०द०स०
(2) अधिनियम धारा.....
(3) अधिनियम — धारा..... —
(4) अन्य अधिनियम व धाराये..... —
3. (अ) रोजनागता आम रपट संख्या 475 समय 4.30 PM,
(ब) अपराध के घटने का दिन गुरुवार दिनांक 24.03.2022 समय 06.45 पी.एम.
(स) थाना / चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 15.03.2022 समय 12.10 पी.एम.
4. सूचना किरम :— टाईपशुदा लिखित
5. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :— पूर्व दिशा लगभग 80 किमी
(ब) पता :— पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर बीट संख्या..... जरायमदेही सं.—.....
- (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
(अ) नाम :— श्री भंवरलाल (ब) पिता का नाम : श्री खीयाराम
(स) जन्म तिथि : 37 वर्ष (द) राष्ट्रीयता :— भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय :— खेती—बाड़ी
(ल) पता :— गांव कोसाणा, पुलिस थाना एव, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण
7. ज्ञात / अज्ञात सदिग्द अभियुक्तो का व्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों राहित :—
 1. श्री योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवारी ग्राम पोर्ट सिलारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
 2. श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार पुत्र रव. श्री माधुराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष पेशा कोसाणा पटवारी के साथ कार्य करना निवारी पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा, पुलिस थाना एव तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण), (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नथी करे।)
10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य रिश्वत राशि 1,500 रुपये.....
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु), (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नथी करे।)

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर।

विषय :— रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदयजी,

सादर निवेदन है कि मेरे पिता श्री खीयाराम पुत्र श्री सुजाराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर में अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 66 रकबा 4.1987 हैक्टेयर पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की अपने हिस्से की 1/2 भाग मुझे दिनांक 26.08.2020 को जरिये दान पत्र दान की। यह दान पत्र उपपंजीयक पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के वहां पंजीकृत कराया। मैंने इस दान पत्र की फोटो प्रति मेरे नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी कोसाणा श्री योगेन्द्रसिंह को दी। उस समय श्री योगेन्द्रसिंह ने मेरे से नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करने के लिये 2000/-रुपये मांगे जो मैंने उसे दिये। उक्त भूमि का नामान्तरण कई दिनों तक मेरे नाम दर्ज नहीं होने पर मैंने श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने कहा नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। इसकों तहसील के रिकार्ड में ऑनलाईन तुम्हारे नाम दर्ज करने के लिये तहसील के कार्मिकों को मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिये 2000/-रुपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। इस भूमि के नामान्तरण के बारे में मैंने आज ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त कर देखा तो मेरे नाम नामान्तरण दर्ज होना प्रक्रियाधीन होना बताया। श्री योगेन्द्रसिंह इस नामान्तरण को ऑनलाईन दर्ज कराने के लिये 2000/-रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी को अब कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के कार्य में श्री श्रवणराम निवासी कोसाणा मदद करता है तथा श्री श्रवणराम श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के साथ ही रहता है। योगेन्द्रसिंह ने कहा मैं कहूँ तो रिश्वत राशि श्रवणराम को दे देना। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी व श्री श्रवणराम को रिश्वत राशि देना। मैं श्री योगेन्द्रसिंह को इसकों तहसील के कार्मिकों को मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिये 2000/-रुपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। इस भूमि के नामान्तरण के बारे में मैंने आज ऑनलाईन जमाबन्दी की आज दिनांक 15.03.2022 को निकाली गई प्रतिलिपि पेश कर रहा हूँ।

प्रार्थी
एसडी/-
(भंवरलाल)

पिता का नाम— खीयाराम
जाति— पंवार विश्नोई, उम्र—37 वर्ष
निवासी कोसाणा, पुलिस थाना पीपाड़
शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर
मोबाईल नं. 9950911352

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 15.03.2022 को उक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री भंवरलाल पुत्र श्री खीयाराम जाति— पंवार विश्नोई, उम्र—37 वर्ष निवासी कोसाणा, पुलिस थाना पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर भोपालसिंह लखावत को पेश की। मजीद दरियाफत् पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि मेरे पिता श्री खीयाराम पुत्र श्री सुजाराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर में अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 66 रकबा 4.1987 हैक्टेयर पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की अपने हिस्से की 1/2 भाग मुझे दिनांक 26.08.2020 को जरिये दान पत्र दान की। यह दान पत्र उपपंजीयक पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के वहां पंजीकृत कराया। मैंने इस दान पत्र की फोटो प्रति मेरे नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी कोसाणा श्री योगेन्द्रसिंह को दी। उस समय श्री योगेन्द्रसिंह ने मेरे से नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करने के लिये 2000/-रुपये मांगे जो मैंने उसे दिये। उक्त भूमि का नामान्तरण कई दिनों तक मेरे नाम दर्ज नहीं होने पर मैंने श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने कहा नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। इसकों तहसील के रिकार्ड में ऑनलाईन तुम्हारे नाम दर्ज करने के लिये तहसील के कार्मिकों को मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिये 2000/-रुपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। इस भूमि के नामान्तरण के बारे में मैंने आज ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त कर देखा तो मेरे नाम नामान्तरण दर्ज होना प्रक्रियाधीन होना बताया। श्री योगेन्द्रसिंह इस नामान्तरण को ऑनलाईन दर्ज कराने के लिये 2000/-रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी को अब कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के कार्य में श्री श्रवणराम निवासी कोसाणा मदद करता है तथा श्री श्रवणराम श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के साथ ही रहता है। श्री योगेन्द्रसिंह ने कहा मैं कहूँ तो रिश्वत राशि श्रवणराम को दे देना। मैं श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी व श्री श्रवणराम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। इनसे मेरी कोई निजी

दुश्मनी नहीं है तथा न ही इनसे मेरा कोई पूर्व का लेन-देन बकाया है। टाईपशुदा रिपोर्ट व मजीद दरियाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत होना पाया जाने से अग्रिम ट्रैप कार्यवाही सम्पादित करने हेतु श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवारी श्री भंवरलाल का परिचय कराया गया। श्री भंवरलाल द्वारा पेश की गई टाईपशुदा रिपोर्ट व दस्तावेज श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही विधिवत करने हेतु निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दिये।

दिनांक 15.03.2022 को वक्त 12.50 पी.एम. पर परिवारी को श्री भंवरलाल को मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह मय रिपोर्ट व दस्तावेज के अपने कार्यालय में लेकर आये। श्री भंवरलाल से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफती की तो उसने टाईपशुदा रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के कानि. श्री छैलाराम नं. 46 को तलब कर उसका परिचय परिवारी श्री भंवरलाल से कराया गया। दोनों के मोबाईल नं. एक दुसरे को आदान प्रदान करवाये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालू करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवारी श्री भंवरलाल व श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को समझाया गया। परिवारी ने बताया कि मैं कोसाणा जाकर पटवार भवन में पटवारी श्री योगेन्द्रसिंह के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको या श्री छैलाराम कानि. को अवगत करा दुंगा। कानि. श्री छैलाराम को भी परिवारी से राम्पर्क में रहने की हिदायत दी गई। कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 15.03.2022 को वक्त 02.30 पी.एम. पर परिवारी श्री भंवरलाल को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 16.03.2022 को वक्त 08.15 ए.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैंने श्री भंवरलाल के मोबाईल नम्बर 9950911352 पर अपने मोबाईल नं. 8963083552 से वार्ता कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे में पूछा तो परिवारी ने कहा कि श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी कोसाणा में नहीं है। इस पर मन् श्री रूपसिंह निरीक्षक पुलिस ने कहा कि कोसाणा में पटवारी के आने पर सूचित करना एव कानि. श्री छैलाराम को हिदायत दी की परिवारी श्री भंवरलाल के लगातार सम्पर्क में रहे तथा हल्का पटवारी श्री योगेन्द्रसिंह के कोसाणा में आने पर व परिवारी से मिलने की सम्भावना होने की सूचना मिलने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करावे। दिनांक 23.03.2022 को वक्त 10.15 ए.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने बताया कि श्री भंवरलाल के मोबाईल नम्बर 9950911352 से श्री छैलाराम कानि. के मोबाईल फोन नम्बर 8963083552 पर फोन कर बताया है कि श्री योगेन्द्रसिंह हल्का पटवारी कोसाणा गांव में आये जहां परिवारी से रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की कार्यवाही हो सकती है। दिनांक 23.03.2022 को वक्त 10.20 ए.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड डालकर, रिक्व ऑफ शुदा सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु परिवारी श्री भंवरलाल के कहेनुसार उससे मिलने कोसाणा गांव रवाना किया। कानि. श्री छैलाराम को हिदायत दी की परिवारी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के पश्चात परिवारी से रिश्वत राशि की व्यवस्था कराकर आवश्यकतानुसार पुलिस निरीक्षक से वार्ता करें व सम्पूर्ण कार्यवाही के सम्बंध में पूर्ण गोपनीयता बरते। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 01.11 पी.एम. पर कानि. श्री छैलाराम नं. 46 ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 8963083552 से पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर 9571272412 पर वार्ता कर बताया कि वह दिनांक 23.03.2022 को कार्यालय से रवाना होकर बस द्वारा दोपहर 12.15 पी.एम. पर पीपाड़ शहर पहुंचाकर परिवारी श्री भंवरलाल से मोबाईल फोन से वार्ता की तो उसने स्वयं का पीपाड़ में होना बताया, उसकी प्राईवेट मोटर साईकिल से पीपाड़ से रवाना होकर उसके कोसाणा गांव पर पहुंचा। गोपनीयता बरतने हेतु पटवार भवन से कुछ दुरी पर खड़ा रहा वहां परिवारी ने तलाश कर बताया कि आज पटवारी श्री योगेन्द्रसिंह ग्राम पंचायत भवन में मौजुद है। वहां उसके पास बहुत सारे लोग मिलने के लिये आ रहे। इसके बाद अचानक पटवारी श्री योगेन्द्रसिंह कोसाणा से कही जाने के लिये रवाना हो गया। इसलिये मांग सत्यापन वार्ता नहीं हो सकी। मैं गोपनीयता बरतने हेतु कोसाणा से रवाना होकर पीपाड़ शहर पहुंच रात्रि मुकिम रहा। दिनांक 24.03.2022 को परिवारी श्री भंवरलाल ने छैलाराम कानि. को जरिये फोन बताया कि पटवारी श्री योगेन्द्रसिंह पीपाड़ शहर तहसील में मौजुद है। वही पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हो जायेगी। इस पर छैलाराम तहसील कार्यालय पीपाड़ के पास पहुंचा। जहां परिवारी श्री भंवरलाल अपनी मोटरसाईकिल से हाजिर मिला। मैमोरी कार्ड लगा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालूकर परिवारी को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर से कुछ दुरी पर खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवारी श्री भंवरलाल, छैलाराम कानि. के पास हाजिर आया तथा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर उससे प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री भंवरलाल ने रिश्वती राशि मांग सत्यापन के सम्बंध में श्री छैलाराम कानि. को बताया एव श्री छैलाराम कानि. ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी ने 1500/-रुपये रिश्वत राशि श्री श्रवणराम को देने को कहा है। रिश्वत राशि के बारे में श्री भंवरलाल ने बताया कि मेरे पास वर्तमान में 1500/-रुपये है। इसलिये आज ही रिश्वत राशि लेन-देन की पूर्ण सम्भावना है इस पर श्री छैलाराम कानि. को परिवारी श्री भंवरलाल को पीपाड़ शहर से हमरा लेकर कार्यालय पहुंचने हेतु हिदायत दी। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 02.20 पी.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 व परिवारी श्री भंवरलाल कार्यालय में हाजिर आये। पूर्व में बताई गई अपनी बात दोहराई। श्री छैलाराम कानि. ने कार्यालय को डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा पेश किया जो अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवारी श्री भंवरलाल ने बताया कि आज मैं कोसाणा से पीपाड़ शहर अपनी मोटर साईकिल से आया। जहां जानकारी मिली की श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी पीपाड़ शहर तहसील में मौजुद है। श्री छैलाराम कानि. ने पीपाड़ शहर तहसील के पास मुझे कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर दिया। मैं इसे लेकर

हल्का पटवारी श्री योगेन्द्रसिंह के पास तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर गया। वहां श्री योगेन्द्रसिंह ने मेरा नामान्तरण दर्ज करने के लिये 2000—2500/-रुपये रिश्वत राशि की मांग की मेरे द्वारा कम करने का कहने पर 1500/-रुपये रिश्वत राशि की मांग की तथा यह 1500/-रुपये रिश्वत राशि पटवारी ने श्री श्रवणराम को देने के लिये कहा। श्री भंवरलाल ने बताया कि मैं 1500/-रुपये रिश्वत दी जाने वाली राशि साथ में लेकर आया हूँ। श्री भंवरलाल ने बताया कि मेरी निजी मोटर साईकिल पीपाड़ शहर से मेरे रिश्वतदार भाणेज श्री विकास के साथ कोसाणा रवाना की तथा मैं व श्री छैलाराम कानि. बस से ब्यूरो कार्यालय जोधपुर आये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑफ कर अपने पास रखा गया। आईन्दा रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट स्वतंत्र गवाहन की मौजुदगी में तैयार किया जाना तय किया। समरत हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 02.40 पी.एम. पर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में खतन्त्र गवाहन की आवश्यकता रहेगी। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खतन्त्र गवाहन की तलबी हेतु एक पत्र श्रीमान अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जोधपुर के नाम मुर्तिब कर कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 को उनके कार्यालय रवाना किया। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 03.45 पी.एम. पर कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 दो खतन्त्र गवाहन को लेकर हाजिर आया। जिनका बारी—बारी परिचय पुछा तो (1.) श्री गणेश चौधरी पुत्र रव. श्री रुधाराम उम्र 29 वर्ष जाति चौधरी निवासी केलावा कंला पुलिस थाना करवड़, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर हाल लिपिक ग्रेड प्रथम कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर संभाग जोधपुर मोबाइल नं. 9829047819 (2.) श्री विपुल त्रिवेदी पुत्र श्री रघुनन्दन त्रिवेदी उम्र 37 वर्ष जाति श्रीमाली ब्राह्मण निवासी चांदपोल चौका हनुमान मन्दिर के सामने, पुलिस थाना खाण्डाफलसा जोधपुर हाल लिपिक ग्रेड प्रथम कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर शहर मोबाइल नं. 7976910755 होना बताया। दोनों गवाहन का परिचय कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री भंवरलाल से कराया गया। भंवरलाल द्वारा पेश की गई टाईपशुदा रिपोर्ट व दस्तावेजों का अवलोकन दोनों गवाहन से कराया गया व कार्यवाही में खतन्त्र गवाहान बनने हेतु सहमति दोनों ने दी तथा अपने—अपने हरताक्षर दखोजो पर किये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को गवाहान को सुनाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड निकाल कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डाल स्विच ऑप कर अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 03.50 पी.एम. पर दोनों गवाहान के रु—ब—रु परिवादी श्री भंवरलाल पुत्र श्री खीयाराम जाति पंवार विश्नोई उम्र 37 वर्ष निवासी कोसाणा, पुलिस थाना पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री भंवरलाल ने भारतीय मुद्रा के 500—500 रुपये के तीन नोट कुल 1500/-रुपये पेश किये। परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार हैं :—

1.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5UC 509522
2.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2QP 970857
3.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7NT 334643

उपरोक्त सभी नोटों पर गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय में रखा फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री भंवरलाल की जामा तत्वाशी गवाह श्री गणेश चौधरी से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 1500/-रुपये के नोट श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ लिपिक से ही परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में रखवाये गये। इसके पश्चात् एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर धोल तैयार करवाने पर गिलास के धोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के उक्त रंगहीन धोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ लिपिक के दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाई श की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के धोल में धुलवाने पर धोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि प्राप्त की है। हाजरीन को सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफथलीन पाउडर के महत्व एवं किया प्रतिक्रिया को भली भांती समझाया। इसके पश्चात् दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी धोल को बाथरूम के वाश बेरिन में डलवाकर नष्ट करवाकर श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ लिपिक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। कॉच की गिलासों, ट्रैप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व विम पाउडर से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रैप बाक्स में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब में रखे नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर ही अपनी पहांडी हुई पेन्ट की पीछे की जेब से रिश्वती राशि निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व आरोपी से अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वती राशि कहां रखता अथवा कहां छुपाता है, का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपने मोबाइल से पुलिस निरीक्षक रूपसिंह के मोबाइल नं. 9571272412 पर मिस कॉल/कॉल अथवा अपने

रिंग पर हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि पुलिस निरीक्षक रूपसिंह एवं ट्रैप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जायें। रवतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहाँ तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपरिथित छुपाते हुए परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं यथासम्बव वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समरत पार्टी की आपरा में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रैप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास रवयं का मोबाईल फोन, छोटी मात्रा में नगद रूपये, रवयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् पुलिस निरीक्षक रूपसिंह के पास विभागीय परिचय पत्र व आकर्षिक खर्च के 2500/-रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वरतु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समरत ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ लिपिक को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी देकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कार्यालय की अलमारी के डबल लॉक में रखने की हिदायत देकर कार्यालय में ही उपरिथित रहने हेतु में छोड़ा गया। फर्द पेशकशी मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 04.10 पी.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि श्री योगेन्द्रसिंह हल्का पटवारी पीपाड़ शहर में अपने मकान में रहता है। मैं उसका निवास का पता नहीं जानता हूँ। वह अपने निवास पर कोसाणा गांव के किसी व्यक्ति से नहीं मिलता है। इसलिये रिश्वत राशि श्री श्रवणराम को ही देना उचित रहेगा। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से विचार विमर्श कर कार्यवाही में दो टीमें बनाने का का निर्णय लिया गया तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण से जाब्ता बुलाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 04.30 पी.एम. पर श्री ताराचन्द कानि. नं. 176 व श्री संजय कानि. नं. 587 तैनात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण कार्यालय में कार्यवाही में सहयोग हेतु ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर में हाजिर आये। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 04.40 पी.एम. पर रूपसिंह निरीक्षक पुलिस मय दोनों रवतन्त्र गवाहन, परिवादी श्री भंवरलाल, जाब्ता श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री ताराचन्द कानि. नं. 176 के परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 यूसी 3352 व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक ट्रैप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु कार्यालय भू.निव्यूरो जोधपुर से कोसाणा की तरफ रवाना हुआ व श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी की निगरानी हेतु श्री भोपालसिंह लखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, श्री भरत डुकिया कनिष्ठ लिपिक, श्री मगराज कानि. नं. 141, श्री संजय कानि. नं. 587 के सरकारी बोलेरो गाड़ी नं. आर जे 14 यूसी 4995 के लैपटॉप प्रिन्टर सहित पीपाड़ शहर रवाना किया गया। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 06.15 पी.एम. पर रूपसिंह निरीक्षक पुलिस मय दोनों रवतन्त्र गवाहन, परिवादी श्री भंवरलाल, जाब्ता श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री ताराचन्द कानि. नं. 176 के परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 यूसी 3352 व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक ट्रैप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु कार्यालय भू.निव्यूरो जोधपुर से रवाना शुदा कोसाणा गांव के पास पहुँचे। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 06.18 पी.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि सरकारी वाहन व जाब्ता के कोसाणा गांव में घुमने व रुकने पर किसी को शक हो सकता है। इसलिये कोसाणा गांव पहुँच परिवादी को अपनी निजी मोटर साईकिल लाने हेतु उसके घर पर रवाना किया व पुलिस निरीक्षक मय हमरायान कोसाणा तालाब के पास खड़े रहे। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 06.25 पी.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल अपनी निजी मोटर साईकिल सहित कोसाणा तालाब के पास पुलिस निरीक्षक के पास हाजिर आया तथा बताया कि श्री श्रवणराम मुझे कोसाणा बस रेटेंड या पटवार भवन के पास मिल सकता है। दिनांक 24.03.2022 वक्त 06.30 पी.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल को मैमोरी लगा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर अँन कर सुपुर्द कर उसे उसकी मोटर साईकिल से श्री श्रवणराम से रिश्वत राशि की लेन-देन करने कोसाणा गांव बस रेटेंड की तरफ हिदायत देकर रवाना किया। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 06.32 पी.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल व श्री श्रवणराम के रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात् श्री श्रवणराम को दरतीयाब करने हेतु बस रेटेंड व पटवार भवन कोसाणा के आस-पास तैनाती हेतु श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री ताराचन्द कानि. नं. 176 को हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 06.40 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक मय रवतन्त्र गवाहन व टवेरा गाड़ी चालक सहित गोपनीयता बरतने हेतु कोसाणा गांव से बाहर मालावास रोड पर खड़ा रहे। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 06.49 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने अपने मोबाईल नं. 8963083552 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9571272412 पर सूचना दी की परिवादी ने उसे पुर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा कर बताया कि रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो गया है। इस पर पूर्व से ही श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के आवास के पास पीपाड़ शहर में तैनात श्री भोपालसिंह लखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात जरिये फोन निवेदन किये। इस पर सरकारी वाहन टवेरा नं. आर जे 14 यूसी 3352 में बैठे हमरा रवतन्त्र गवाहन को सूचना से अवगत करा कर कोसाणा गांव के बाहर मालावास रोड से रवाना होकर पटवार भवन कोसाणा के पास पहुँचे। वहाँ आम रोड पर परिवादी श्री भंवरलाल अपनी प्राईवेट मोटर साईकिल सहित हाजिर गिला उसने कहा श्री श्रवणराम मुझे पटवार भवन के पास आम रोड पर गिला उसने मेरे से 1500/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जोब में रखी है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर के बारे में पूछा तो श्री भंवरलाल ने बताया कि यहाँ तैनात जाब्ता में से श्री भुरसिंह कानि. ने रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात् मेरे से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया है। श्री भंवरलाल ने बताया कि श्री श्रवणराम ने मेरे

से रिश्वत राशि दाहिने हाथ से प्राप्त कर गिनकर उसने अपने पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे तथा पटवार भवन के सामने स्थित वॉलीबाल के मैदान में वॉलीबाल खेलने चला गया है। मन् पुलिस निरीक्षक, व हमरायान सरकारी गाड़ी से नीचे उतरकर परिवादी के साथ पैदल-पैदल वॉलीबाल के मैदान के मुख्य गेट पर पहुंचा तो जाब्ता श्री छैलाराम कानि, श्री भूरसिंह कानि, श्री रुपसिंह कानि, श्री ताराचन्द कानि, निगरानी हेतु हाजिर मिले। श्री छैलाराम कानि, ने बताया कि श्री श्रवणराम अन्दर मैदान में वॉलीबाल खेल रहा है। इस पर जाब्ता व गवाहान व परिवादी को हमरा लेकर वॉलीबाल के मैदान में प्रवेश हुआ। परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया खिलाड़ियों के बीच खड़ा काली बाजु का ब्राउन शर्ट पहना व्यक्ति श्री श्रवणराम है। इस पर उस व्यक्ति के पास पहुंचे तथा श्री छैलाराम कानि, व श्री भूरसिंह कानि, से उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलाई के ऊपर से पकड़वाये जाकर दरतीयाब किया गया तथा उसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व जाब्ता का परिचय देकर आने के मनतब्य से अवगत कराया गया। उसे अपना नाम पुछने पर श्रवण होना बताया। वॉलीबाल मैदान में 20-22 युवक वॉलीबाल खेल रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों हाथ पकड़े व्यक्ति को वॉलीबाल मैदान से बाहर सरकारी गाड़ी के पास लाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर श्री भूरसिंह कानि, प्राप्त कर उसका स्विच ऑफ कर अपने कब्जे लिया। आईन्चा लेन-देन के सम्बन्ध रिकार्ड हुई वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जायेगी। दरतीयाब शुद्ध व्यक्ति का परिचय पूछ तो उसने अपना नाम श्रवण कुमार पुत्र ख. श्री माधुराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष पेशा कोसाणा पटवारी के साथ कार्य करना निवासी पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर होना बताया तथा कहा मुझे गांव में श्रवणराम के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। मौके पर मौजूद स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भंवरलाल से पूछा तो उसने बताया कि मैंने मोबाईल फोन से श्री श्रवणराम से बात की तो उसने कहा निबड़ी के पास आ जाओ। निबड़ी पटवार भवन के पास स्थित है इसलिये मैं अपनी मोटर साईकिल से पटवार भवन के पास पहुंचा। वहां पास में ही वॉलीबाल मैदान के बाहर गेट पास आम रोड पर मुझे श्री श्रवणराम मिला। मैंने उसे कहा आज पटवारी द्वारा 1500/- रुपये रिश्वत राशि के मांग कर आपको देने के लिये कहा। इस पर श्री श्रवणराम ने अपने मोबाईल फोन से श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी को फोन लगाकर बात की तो पटवारी ने मेरे से 1500/- रुपये रिश्वत के लेने के लिये कहा। इस पर श्री श्रवणराम ने मेरे से 1500/- रुपये अपने दाहिने हाथ में प्राप्त कर उसको गिनकर अपने पेन्ट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रखे। श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार को रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मेरे दादा श्री नारायणराम कोसाणा पटवारी के पास काम करते थे। मेरे पिता की मेरी 02 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई तथा मेरे दादा की करीबन 10 वर्ष पूर्व मृत्यु होने के बाद से ही मैं पटवारी की काम में मदद करता हूँ। उसके पटवार भवन की सफाई कर लेता हूँ तथा फिल्ड से कोई जानकारी फसल इत्यादि की प्राप्त कर लाता हूँ। इसलिये आम लोग मुझे जानते हैं। वर्तमान में करीबन 02 वर्ष से कोसाणा में श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी पद पर तैनात है। मैं उनके काम में मदद करता हूँ। मैं पटवारी के कोसाणा आने पर पटवार भवन में उनके साथ रहता हूँ। श्री भंवरलाल विश्नोई निवासी कोसाणा के नाम एक नामान्तरण दर्ज करने का काम श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के पास था। इसलिये श्री भंवरलाल विश्नोई कई बार श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के पास नामान्तरण दर्ज करने के लिये आया था। आज श्री भंवरलाल ने मुझे फोन किया तो मैंने कहा मैं निबड़ी के पास मिलूंगा। निबड़ी पटवार भवन के पास ही खड़ी है। थोड़ी दूर में ही श्री भंवरलाल अपनी मोटर साईकिल लेकर निबड़ी के पास पहुंचा। मैं उस समय वॉलीबाल मैदान के बाहर रोड पर खड़ा था। मेरे पास श्री भंवरलाल आया उसने कहा आज मैं पटवारी जी से मिला था उन्होंने 1500/- रुपये आपको देने के लिये कहा है। इस पर मैंने मेरे मोबाईल फोन नम्बर 8949991813 से श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के मोबाईल नम्बर 9414804465 से बात की तो श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी ने भंवरलाल से 1500/- रुपये रिश्वत राशि के लेने के लिये कहा। जिस पर मैंने श्री भंवरलाल से 1500/- रुपये प्राप्त कर अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे जो मेरी पेन्ट की जेब में मौजूद है। समस्त हालात पीपाड़ शहर में मौजूद श्री भोपालसिंह लखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किये व श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी की दरतीयाबी हेतु निवेदन किया। गांव कोसाणा में सुरक्षा के लिहाज से कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता है। शाम का समय होने जा रहा है। पास में ही करीबन 20-25 गांव के युवक वॉलीबाल खेल रहे जो श्री श्रवण कुमार के हितबद्ध हैं। इसलिये अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना पीपाड़ शहर में करने निर्णय लेकर श्री श्रवण कुमार को हाथ पकड़े रिश्वति में सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सरकारी वाहन में बैठाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान, हमरा जाब्ता कोसाणा गांव से रवाना होकर वक्ता 07.25 पी.एम. पर पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर पहुंचे। जहां थानाधिकारी श्री लक्ष्मणसिंह निरीक्षक पुलिस हाजिर मिले उन्हें मौखिक रूप से हालात निवेदन कर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही पुलिस थाना भवन में करने हेतु अपनी सहमति दी। सरकारी वाहन टवेरा में से आरोपी श्री श्रवण कुमार को एक कमरे में लाय तथा टवेरा गाड़ी में रखा ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व अनुसंधान सामग्री जाब्ता के साथ मंगवाई गई। श्री श्रवण कुमार की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री गणेश चौधरी से लिवाई तो उसमें 500-500 रुपये की तीन नोट कुल 1500/- रुपये मिले जो श्री गणेश चौधरी के पास ही रहने दिये गये। फर्द पेशकशी में वर्णित नोटों के नम्बर से मिलान हेतु फर्द पेशकशी गवाह श्री विपुल त्रिवेदी को दी जाकर नोटों के नम्बर पढ़वाये तो तीनों नोटों के नम्बर फर्द पेशी के निम्नानुसार हुबहु होना पाया गया।

4.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	SUC 509522
5.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2QP 970857

तत्पश्चात् गवाह श्री गणेश चौधरी से उक्त 1500/-रुपये रिश्वति राशि को प्राप्त कर जब्त कर बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।

श्री ताराचन्द कानि. नं. 176 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर श्री भोपालसिंह लखावत द्वारा तलब करने पर श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के आवास पर गणपति चौराहा के पास पीपाड़ शहर सरकारी वाहन टवेरा गाड़ी से चालक श्री प्रेमसिंह के साथ रवाना किया गया।

तत्पश्चात् श्री श्रवण कुमार के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासों में पीने का साफ पानी दोनों कॉच की गिलासों में भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाइपल डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपरिथितगणों ने रंगहीन होना स्वीकारा। एक गिलास के तैयार घोल में श्री श्रवण कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपरिथितगणों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूरसे कॉच के गिलास में तैयार घोल में श्री श्रवण कुमार के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपरिथितगणों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार दिया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात् रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की दाहिनी पीछे की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से नई पेन्ट की व्यवस्था कर श्री श्रवण कुमार के पहनी हुई पेन्ट को उत्तरवायी जाकर नई पेन्ट पहनवायी गयी। इसके पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री श्रवण कुमार के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी पीछे की जेब को उल्टवाकर तैयार घोल में डुबोकर धुवायी गयी तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को दो कॉच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर, सील चिट कर, चरपा पर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर घेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि बरामद स्थल पेन्ट के दाहिनी पीछे की जेब पर भी सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को वजह सबूत एक सफेद कपड़े की थेली में डालकर, थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील चरपा किया जाकर मार्क पी अंकित किया गया।


आरोपी श्री श्रवण कुमार के पास घटना के उपयोग में लिया गया सैमसंग कम्पनी का एण्डरायड मोबाईल फोन गिला जिसके आई.एम.ई.आई नम्बर 359431090691738, 359432090691736 होना पाया गया इस मोबाईल फोन में एक सिम जीयो कम्पनी की जिसके नम्बर 8949991813 व दुसरी सिम एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर 8386024005 मिली। उक्त मोबाईल फोन कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 10.40 पी.एम. पर अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री भंवरलाल के पिता श्री खीयाराम पुत्र श्री सुजाराम जाति विश्नोई निवारी कोसाणा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर ने अपनी कृषि भुग्ति खरारा नं. 66 रकबा 4.1987 हैक्टेयर पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की 1/2 भाग श्री भंवरलाल को दिनांक 26.08.2020 को जरिये दान पत्र दान की। यह दान पत्र उपर्युक्त पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के वहां पंजीकृत कराया। श्री भंवरलाल द्वारा इस दान पत्र की फोटो प्रति अपने नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी कोसाणा श्री योगेन्द्रसिंह को दी। उस समय श्री योगेन्द्रसिंह ने श्री भंवरलाल के नाम नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करने के लिये 2000/-रुपये मांगे जो उसने उसे दिये। उक्त भुग्ति का नामान्तरण कई दिनों तक श्री भंवरलाल के नाम दर्ज नहीं होने पर श्री भंवरलाल ने श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने कहा नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। इसको तहसील के रिकार्ड में ऑनलाईन तुम्हारे नाम दर्ज करने के लिये तहसील के कार्मिकों को मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिये 2000/-रुपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। इस भुग्ति के नामान्तरण के बारे में श्री भंवरलाल ने ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त कर देखा तो उसके नाम नामान्तरण दर्ज होना प्रक्रियाधीन होना वताया। रिश्वत राशि के मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 24.03.2022 को श्री योगेन्द्रसिंह द्वारा 2000-2500 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर योगेन्द्रसिंह पटवारी द्वारा 1500/-रुपये की मांग कर रिश्वत राशि उसके काम में मदद करने वाले श्री श्रवण कुमार को देने के लिये कहा। इस पर आज परिवादी श्री भंवरलाल श्री श्रवण कुमार से गिला उसने श्री योगेन्द्रसिंह के कहने पर 1500/-रुपये रिश्वत राशि लेने के लिये कहा जिस पर श्री श्रवण कुमार ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 8949991813 से श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के मोबाईल नम्बर 9414804465 से बात की तो श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी ने भंवरलाल से 1500/-रुपये रिश्वत राशि के लेने के लिये कहा। जिस पर श्री श्रवण कुमार ने श्री भंवरलाल से 1500/-रुपये प्राप्त कर अपनी पेन्ट की पीछे दाहिनी जेब में रखे जो बरामद हुए। श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार व श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी का कृत्य जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) आधेनियम 2018 व 120वी भा.द.सं. का अपराध है। श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 24.03.2022 को वक्त 11.10 पी.एम. पर इस समय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह टवेरा गाड़ी सहित कार्यवाही स्थल पर हाजिर आया। दिनांक 24.03.2022 को वक्त 11.20 पी.एम. पर कानि. चालक श्री प्रेमसिंह टवेरा गाड़ी के साथ गवाहान श्री गणेश चौधरी व श्री विपुल त्रिवेदी को श्री योगेन्द्रसिंह के आवास की तलाशी में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के आवास गणपति चौराहा के पास पीपाड़ शहर रवाना किया। आज रात्रि का वक्त है तथा स्वतन्त्र गवाहान भी श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के आवास की तलाशी की कार्यवाही में मौजुद है। इसलिये घटना स्थल का निरीक्षण आईन्दा किया जायेगा व फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन व फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन आईन्दा तैयार की जायेगी। दिनांक 25.03.2022 को वक्त 02.00 ए.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल को दिनांक 25.03.2022 की सुबह 09.00 ए.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होने की हिदायत देकर रुखरत किया गया। दिनांक 25.03.2022 को वक्त 02.30 ए.एम. पर कानि. चालक श्री प्रेमसिंह टवेरा गाड़ी के साथ गवाहान श्री गणेश चौधरी व श्री विपुल त्रिवेदी एवं श्री ताराचन्द कानि. 176 श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के आवास की तलाशी के पश्चात् कार्यवाही स्थल पर हाजिर आये। दिनांक 25.03.2022 को वक्त 02.40 ए.एम. पर रूपसिंह निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, जाक्ता श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री ताराचन्द कानि. नं. 176 के मौके पर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 यूसी 3352 व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ, लैपटॉप मय प्रिन्टर मय जब्त शुदा आर्टिकल आरोपी श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब का शील्ड शुदा धोवन सैम्पल मार्क पी.1 , पी. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 1500/- रूपये, पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी, जब्तशुदा मोबाईल इत्यादि मुताबिक फर्द के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी को हमरा लेकर पुलिस थाना पीपाड़ शहर से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर जाना रवाना हुआ। दिनांक 25.03.2022 को वक्त 04.55 ए.एम. पर रूपसिंह निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, जाक्ता श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री ताराचन्द कानि. नं. 176 के मौके पर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 यूसी 3352 व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डाला हुआ, लैपटॉप मय प्रिन्टर मय जब्त शुदा आर्टिकल आरोपी श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब का शील्ड शुदा धोवन सैम्पल मार्क पी.1 , पी. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 1500/- रूपये, पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी, जब्तशुदा मोबाईल इत्यादि मुताबिक फर्द के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी को हमरा लेकर पुलिस थाना पीपाड़ शहर से रवाना होकर पावटा चौराहा जोधपुर पहुंचा जहां से हमरा स्वतन्त्र गवाहान श्री गणेश चौधरी व विपुल त्रिवेदी को दिनांक 25.03.2022 को सुबह 10.00 ए.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होने की हिदायत देकर रुखरत कर पावटा सैटेलाईट अस्पताल पहुंच आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त की। वहां से रवाना होकर एम.जी.एच पहुंच कोविड-19 का परीक्षण करा पुलिस थाना उदयमन्दिर पहुंचे वहां गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री श्रवणराम उर्फ श्री श्रवण कुमार को सुपुर्द कर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर हाजिर आया। जब्तशुदा आर्टिकल मुताबिक फर्द के मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम हैडकानि. को मालखाना में जमा करने सम्भलाये गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में श्री मैमोरी कार्ड निकाल कर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 25.03.2022 को पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री भंवरलाल एवं पूर्व पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री गणेश चौधरी व विपुल त्रिवेदी हाजिर आये दिनांक 25.03.2022 को वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री भंवरलाल एवं आरोपी श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि गांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 24.03.2022 जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं एवं परिवादी श्री भंवरलाल एवं आरोपी श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार पुत्र स्त. श्री माधुराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष पेशा कोसाणा पटवारी के साथ कार्य करना निवासी पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन की रुबरु वार्तालाप दिनांक 24.03.2022 जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त दोनों मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय हाजा कै डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डालकर उक्त वार्तालाप को दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री छैलाराम कानि. द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतविरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री भंवरलाल ने अपनी व दुसरी आवाजे आरोपी श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी एवं दुसरे मैमोरी कार्ड में एक आवाज परिवादी श्री भंवरलाल ने अपनी व दुसरी आवाजे आरोपी श्री श्रवण कुमार की होना वताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो-दो सीढ़ीयां तैयार की गई। दोनों मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड को एक-एक पोलीथीन की थैली में अलग-अलग रखकर उसे कपड़े की दो थैलीयों में डालकर कपड़े की थैलीयों को सिलाई कर, रील चर्पा कर थैलीयों पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। चारों डब सीढ़ी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्डशुदा मैमोरी कार्ड के पैकेटो एवं खुली चारों डब सीढ़ीयों को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री प्रभुराम हैडकानि. नं. 55 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दिनांक 25.03.2022 को वक्त 12.30 पी.एम. पर इस

समय परिवादी श्री भंवरलाल व स्तवन्त्र गवाहान श्री गणेश चौधरी व श्री विपुल त्रिवेदी को हिदायत देकर बाद कार्यवाही के रुखरत किया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री भंवरलाल के पिता श्री खीयाराम पुत्र श्री सुजाराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर ने अपनी कृषि भुमि खसरा नं. 66 रकबा 4.1987 हैकटेयर पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की अपने हिस्से की 1/2 भाग श्री भंवरलाल को दिनांक 26.08.2020 को जरिये दान पत्र दान की। यह दान पत्र उपपंजीयक पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के वहाँ पंजीकृत कराया। श्री भंवरलाल द्वारा इस दान पत्र की फोटो प्रति अपने नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिये हल्का पटवारी कोसाणा श्री योगेन्द्रसिंह को दी। उस समय श्री योगेन्द्रसिंह ने श्री भंवरलाल के नाम नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करने के लिये 2000/-रुपये मांगे जो उसने उसे दिये। उक्त भुमि का नामान्तरण कई दिनों तक श्री भंवरलाल के नाम दर्ज नहीं होने पर श्री भंवरलाल ने श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने कहा नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। इसकों तहसील के रिकार्ड में ऑनलाईन तुम्हारे नाम दर्ज करने के लिये तहसील के कार्मिकों को मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिये 2000/-रुपये रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। इस भुमि के नामान्तरण के बारे में श्री भंवरलाल ने दिनांक 15.03.2022 को ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त कर देखा तो उसके नाम नामान्तरण दर्ज होना प्रक्रियाधीन होना बताया। रिश्वत राशि के मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 24.03.2022 को श्री योगेन्द्रसिंह द्वारा नामान्तरण का काम कराने के लिये परिवादी श्री भंवरलाल से 2000-2500 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर योगेन्द्रसिंह पटवारी द्वारा 1500/-रुपये की मांग कर रिश्वत राशि उसके काम में मदद करने वाले श्री श्रवण कुमार को देने के लिये कहा। इस पर दिनांक 24.03.2022 को परिवादी श्री भंवरलाल श्री श्रवण कुमार से मिला उसने श्री योगेन्द्रसिंह के कहने पर 1500/-रुपये रिश्वत राशि लेने के लिये कहा जिस पर श्री श्रवण कुमार ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 8949991813 से श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी के मोबाईल नम्बर 9414804465 से बात की तो श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी ने भंवरलाल से 1500/-रुपये रिश्वत राशि के लेने के लिये कहा। जिस पर श्री श्रवण कुमार ने श्री भंवरलाल से 1500/-रुपये प्राप्त कर अपनी पेन्ट की पीछे दाहिनी जेब में रखे जो बरामद हुए। श्री योगेन्द्रसिंह परिवादी के नामान्तरण को ऑनलाईन दर्ज कराने के लिये तहसील के किन-किन कर्मचारियों को रिश्वत देने वाला था यह योगेन्द्रसिंह पटवारी के गिरफ्तार होने पर अनुसंधान से स्पष्ट होगा।


अतः श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार पुत्र रव. श्री माधुराम जाति मैघवाल उम्र 30 वर्ष पेशा कोसाणा पटवारी के साथ कार्य करना निवासी पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर, श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी, पटवार हल्का कोसाणा जिला जोधपुर का कृत्य जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भा.द.सं. का अपराध है। श्री श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया व श्री योगेन्द्रसिंह पटवारी बावजुद तलाश के नहीं मिला जो कार्यवाही की भनक लगाने से अपनी शकुनत से फरार है। हर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.सं. में दण्डनीय होने से इनके विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु 07 प्रतियों प्रेषित है।



(रैकेश सिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रूपसिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री योगन्द्रसिंह, पटवारी, पटवार हल्का कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर एवं 2. श्री श्रवणराम उर्फ श्रवण कुमार पुत्र स्व.श्री माधुराम, पेशा कोसाणा, पटवारी के साथ कार्य करना, निवासी पटवार भवन के पास ग्राम कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 99/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 876-80 दिनांक 25.3.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।